न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 11/2021

1. विनोदकुमारपुत्र मोहनलालजातिमालीनिवासी चूरू तहसील व जिला चरू ।
2. श्रवणकुमारपुत्र मोहनलालजातिमालीनिवासी चूरू तहसील व जिला चरू ।
3. रमेशकुमारपुत्र मोहनलालजातिमालीनिवासी चूरू तहसील व जिला चरू ।
4. दीनदयालपुत्र मोहनलालजातिमालीनिवासी चूरू तहसील व जिला चरू ।
5. इन्द्रचन्दपुत्र मोहनलालजातिमालीनिवासी चूरू तहसील व जिला चरू ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थानसरकारजरियेतहसीलदार चूरू ।
2. पुष्पादेवीपत्नीकमलकुमारजातिमालीनिवासीगांधीकोलोनी चूरू ।
3. नारायण प्रसादपुत्र हनुमान जाति माली निवासी गांधी कोलोनी चूरू ।
4. सुभाषचन्द्रपुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।
5. संजय कुमारपुत्र श्री तोलाराम जाति माली निवासी आलोक सिनेमा के पिछे चूरू ।
6. स्वर्गीय तोलाराम पुत्र केसाराम जाति माली निवासी आलोक सिनेमा के पिछे चूरू।

6/1 संजय कुमारपुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिछेचूरू हाल वीरतेजा होटल के पिदे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/2 विष्णुकुमार पुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिछेचूरू हालवीर तेजाहोटल के पिदे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/3 बुद्वमल पुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिछेचूरू हाल वीरतेजा होटल के पिछेपापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/4ताराचंद पुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिछेचूरू हाल वीरतेजा होटल के पिछे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/5 इन्द्रचंद पुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू हाल वीरतेजा होटल के पिदे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/6 सुरेशकुमार पुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू हाल वीरतेजा होटल के पिदे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/7 लालचंद पुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू हाल वीरतेजा होटल के पिदे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/8 रामेदेवी पुत्री स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू हाल वीरतेजा होटल के पिदे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

6/9 मेनादेवी पुत्र स्व0 तोलाराम निवासी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू हाल वीरतेजा होटल के पिदे पापटाणो की ढाणी चूरू ।

7. जयचंदलालपुत्र हनुमान जाति जाट निवासी आलोक सिनेमा के पिछे चूरू ।

8. नंदलालपुत्र नथीपुत्री गजूराम जाति माली आलोक सिनेमा के पिछे चूरू ।

9. शंकरलालपुत्र नथीपुत्री गजूराम जाति माली आलोकसिनेमा के पिछे चूरू ।

10.स्व धन्नाराम पुत्र नथी पुत्री गजूराम जाति माली निवासी आलोक सिनेमा के पिछे चूरू ।

10/1 संजूदेवी बेवा धन्नाराम जाति माली निवासीनी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू।

10/2 तनुजकुमार पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासीनी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू।

10/3 मोहित कुमार पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासीनी आलोक सिनेमा के पिदे चूरू।

11.श्रवणकुमार पुत्र श्री रिद्वकरण जाति माली निवासी भूतिया बास चूरू ।

12. बनारसी पुत्री सुरजाराम जाति माली निवासी भूतिया बास चूरू ।

13. उप पंजीयक चूरू ।

–रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः– 1. श्रीभीमसिंह शेखावतअधिवक्ताअपीलांट्

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू के अंतरिम आदेश दिनांक 12.01.2012 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—08.04.02021

1. अपील के संक्षिप्ततथ्य निम्नप्रकारसेहैकि यह अपील उपखण्डअधिकारीचूरू के अंतरिमआदेशदिनांक12.01.2012केविरूद्व पेशहुईहै । वादगतकृषि ख0न0 1066 रकबा 27.12 बीघारोही चूरू मेंस्थितहै । जिसमेअधिनस्थन्यायालय द्वाराअपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय अंतरिमआदेशकरभूमि व रेकार्ड की यथास्थितिबनाये रखनेबाबतआदेशपारितकियेजिसकेविरूद्व यह अपीलपेश की गयीहै ।

3. अभिभाषकअपीलांट ने अपनीअपीलमीमो के तथ्योंकोदोहरातेहुए बहसमेंकथनकियाकिवादगतकृषिभूमि ख0न 1066 रकबा 27.12 बीघावाकेरोही चूरू अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 से 12 की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की कृषिभूमिहैजोमौकेपरअविभाजितसंयुक्तकब्जाउपयोग व उपभोगमेंलीजारहीहैजिसमेंअपीलांट / वादीविनोदकुमार व श्रवणकुमारका 5583 / 47 व अपीलार्थीइन्द्रचंद,रमेश व दिनदयालका 414 / 49 हिस्सा खातेदारी व कब्जेकाश्तकाहै । अपीलाट / वादीगणउक्तकृषिभूमिपरकृषिकार्यहीकियाजारहाहैतथाइसकृषिभूमिपर खातेदारइन्द्रचंद, श्रवणकुमार, दिनदयाल, विनोदकुमार द्वाराफसल रखने व पशु व पशुओंकाचारा रखने के लियेकच्चापक्कानिर्माणभीकाफीवर्षोसेकियाहुआहै । अधिनस्थन्यायालय द्वाराअपनानिर्णय पारितकरनेसेपूर्वअपीलांट / वादीगणकोजवाबदेहीतथासबुत व सुनवाईकाअवसरप्रदानकियेबिनाही एकपक्षीय कार्यवाहीकरतेहुऐअतंरिमआदेशसेपाबंदकरदियाजबकिअपीलांट / वादीगण द्वाराकृषिभूमिपरअकृषिकार्य नही कियाजारहाहैनाहीप्लोटिंगकाकार्यकियागयाहैकेवलमात्र कृषिकार्यहेतुभूमिकासमतलीकरणकियागयाहै । इसप्रकारतमामतथ्यों के आधारपरअधिनस्थन्यायालय काअंतरिमआदेशदिनांक 12.01.2012तथ्यों के विपरितहोनेसे खारिज योग्य हैजिसे खारिजकियाजाकरअपीलअपीलांटस्वीकार की जावे ।

4. रेस्पोडेन्ट के विद्वानअभिभाषकअनुपस्थितअधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीमेंउपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकनसेज्ञातहोताहैकिहल्कापटवारीरिपोर्टदिनांक 09.01.2012 मेंरोहीग्रामकस्बा चूरू के ख0न0 1066 तादादी 27.12 बीघाकिश्मबारानीसंयुक्त खातेदारीकृषिभूमिहैजिसपरपांचमकानबना रखेहै व समतलीकरणकाकार्यभीकियाजारहाहै । जिससेभूमिका रूप परिवर्तनकरदियाहैआवासीय प्लोटिंगकाकार्यकियाजाकरबैचानकियाजारहाहै ।अधिनस्थन्यायालय द्वाराकेवलमात्र हल्कापटवारीकीरिपोर्टपरअंतरिमनिषेधाज्ञाजारीकरदीगयीहै । अपीलांट / वादीगण व सभी पक्षकारोंकोसुनवाई व साक्ष्य सबुतप्रस्तुतकरनेकाकोईअवसरप्रदान नही कियाहैअपीलांट / वादीगण द्वाराअपीलबहसमेंअपनेकब्जाकाश्तभूमिपरफसलरखने,

पशु,पशुओकाचारा व कच्चेपक्केमकानबनायेहुए हैजोकीप्लोटिंग या अकृर्षिकार्य की श्रेणी में नही आतेहै ।

5. हमनेअपीलांट की एकपक्षीय बहससुनी व पत्रावलीमेंउपलब्ध दस्तावेजोकाअवलोकनकिया । जिससे यह साबितहैकिअधिनस्थन्यायालय द्वाराकेवलमात्र हल्कापटवारीकीरिपोर्ट के आधारपर एकपक्षीय कार्यवाहीकरतेहुऐसभी पक्षकारोंकोसुनवाई व साक्ष्य सबुतपेशकरनेकाअवसरप्रदानकियेबगैरनिर्णय पारितकियाहैऔरकिसी एक या दो पक्षकारों के निर्माणकार्यकरनेसेसभी पक्षकारोंकोपाबन्दकियाजानान्यायोचितप्रतीत नही होताहै ।

6. अतः उपरोक्तविवेचन एवंवि”लेषण के आधारपरअपीलअपीलांटस्वीकारकीजातीहै एवंअधिनस्थन्यायालय के अंतरिमआदेशदिनांक 12.01.2012 कोअपास्तकियाजाकरप्रकरणप्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) करनिर्देशदियेजातेहैकिवेअपील के सभी पक्षकारोंकोसुनवाई व साक्ष्य सबुतकासमुचितअवसरप्रदानकर, मौकानिरीक्षणकरगुणावगुण के आधारपुनः निर्णय पारितकरें ।

7. निर्णय आजदिंनाक08.04.2021कोलिखायाजाकर खुलेन्यायालय मेंसुनायागया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर